UPAL010044422026

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01, अलीगढ।</u>
<u>अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2026 सन् 2026</u>

1– जावेद उर्फ कलुआ पुत्र श्री रसीदा उर्फ बशीर, निवासी सराय मियां, थाना देहली गेट, जिला अलीगढ़।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

दाण्डिक वाद सं0–776/2025
अपराध संख्या–383/2024
धारा :–115(2),352,351(2),76 व 117(2) भारतीय न्याय संहिता
थानाः–देहलीगेट, जिला–अलीगढ़।

<u>दिनांक :–29.05.2026</u>

<u>अग्रिम जमानत आदेश</u>

1– आवेदक/अभियुक्त **जावेद उर्फ कलुआ पुत्र रसीदा उर्फ बशीर** की ओर से दाण्डिक वाद सं0–776/2025 मुकदमा अपराध संख्या–383/2024 अन्तर्गत धारा –115(2), 352, 351(2), 76 व 117(2) भारतीय न्याय संहिता थाना देहलीगेट जिला अलीगढ़ के मामले में यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उसे मौहल्ले की पार्टीबन्दी के कारण झूंठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त पूर्व सजायाफ़्ता नहीं है और न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है और न ही अन्य कोई मुकदमा उसके विरूद्ध अन्य किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। आवेदक/अभियुक्त ने वादिया के साथ किसी भी प्रकार की कोई मारपीट, गाली गलौज नहीं की और न ही उसकी पुत्री तबस्सुम, शबिया के साथ कोई छेड़छाड़ऋ की है और न ही उसके कपड़े फाड़े हैं और न ही किसी को जान से मारने की धमकी दी है। मुकदमें में सारी बातें केवल मुकदमें में रंगत देने के लिये लिखाई गयी हैं।सत्यता यह है कि दिनांक–15.10.2024 को समय करीब 10:45 बजे वादिया एवं मौहल्ले की कुछ महिलाओं के मध्य कूड़ा फेंकने के ऊपर विवाद हो रहा था, उसी समय ईट पत्थर फिकने लगे थे तथा भगदड़ मच गयी थी, उसी पथराम एवं भगदड़ में गिर जाने के कारण वादिया के शरीर पर चोटें आ गयीं थीं तथा मौहल्ले की पार्टीबन्दी के कारण

आवेदक का उक्त मुकदमें में नामित करा दिया गया है।आवेदक से सम्बन्धित उक्त मुक. दमें में आरोप पत्र न्यायालय ए.सी.जे.एम. कोर्ट सं0–6, अलीगढ़ के यहॉ आ चुका है। आवेदक एक गरीब परिवार का व्यक्ति है और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की गुजर बसर करता है। उपरोक्त प्रकरण के विचारण में न्यायालय का पूर्ण सहयोग करेगा तथा नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। आवेदक की ओर से कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र अथवा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी।

3– अभियोजन कथानक/प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक–15.10.2024 समय 10:45 बजे वादिया परबीन बेगम अपने घर खाना खा रही थी तभी फैजान, सादाब, फेसल, सिमरान पुत्र सलीम पहलवान, कलुआ पुत्र रसीदा, समीर पुत्र रसीद उपरोक्त सभी लोग कूड़ा घर के दरवाजे के बाहर फेंकने का अरी पलगा कर गन्दी गन्दी गालियॉ बकने लगे, मना करने पर सभी लोगों ने लात घूंसों से बुरी तरह मारापीटा और फैजान सिमरान, सादाब, हाजी जहीर की बिल्डिंग के पीदे ऊॅची मस्जिद दूध वाली दुकान के पास देहलीगेट वादिया की लड़की तबस्सुम, राबिया के साथ छेड़छाड़ करते हुए कपड़े फाड़ दिये। थोड़ी देर आसिक वादिया का लड़का घर पर आया तथा उसे बचाय और 112 नम्बर पर फोन किया, पुलिस आने पर उपरोक्त सभी लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। वादिया की तहरीर के आधार पर थाना देहली गेट, जिला अलीगढ़ पर दिनांक–05.11.2024 को समय 00:17 बजे अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं0–383/2024 धारा–191(2), 115(2), 352, 351(2), 76 व 117(2) के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी।

4– अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5– अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी आदि का अवलोकन किया।

6– प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिया के घर के आगे कूड़ा फेंकने का विरोध करने पर गन्दी गन्दी गालियॉ देते हुए बुरी तरह से मारपीट करने तथा वादिया की लड़की तबस्सुम, राबिया के साथ छेड़छाड़ करते हुए कपड़े फाड़ दिये का आरोप है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है जो दाण्डिक वाद संख्या–'776/2025 राज्य बनाम फैजान के रूप में संचालित है जिसमें

आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध प्रोसेस जारी है परन्तु अभी तक आवेदक/अभियुक्त विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। सह अभियुक्त फैजान की अग्रिम जमानत न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–07, अलीगढ़ द्वारा दिनांक–19.03.2025 को निरस्त की जा चुकी है। इस स्तर पर इस आवेदक/अभियुक्त को भी अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का कोई पर्याप्त आधार प्रतीत नहीं होता है।

7– विधि व्यवस्था **स्पेशल लीव पिटीशन (क्रिमि0)नं0–7940 सन् 2023 श्रीकान्त उपाध्याय एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ बिहार** में पारित निर्णय दिनांकित–14 मार्च, 2024 के पैरा–24 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि–

"that the power to grant anticipatory bail is an extraordinary power. Though in many cases it was held that bail is said to be a rule, it cannot, by any stretch of imagination, be said that anticipatory bail is the rule, It cannot be the rule and the question of its grant should be left to the cautious and judicious discretion by the Court depending on the facts and circumstances of each case."

8– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने **क्रिमिनल अपील @ एस.एल.पी. (क्रिमि0) नं0–10251/2024 दिनांकित–जुलाई 21, 2025** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था में भी यह विधि सिद्धान्त निर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत न्यायालय को बहुत सावधानी पूर्व प्रदान किया जाना चाहिए, प्रथागत रूप में (Routinely way) नहीं दिया जाना चाहिए।

9– अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का कोई युक्तियुक्त एवं न्यायसंगत आधार प्रतीत नहीं होता है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **जावेद उर्फ कलुआ पुत्र रसीदा उर्फ बशीर** की ओर से दाण्डिक वाद सं0–776/2025 मुकदमा अपराध संख्या–383/2024 अन्तर्गत धारा –115(2), 352, 351(2), 76 व 117(2) भारतीय न्याय संहिता थाना देहलीगेट जिला अलीगढ़ में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1956/2026 निरस्त किया जाता है।

दिनांकः–29.05.2026

प्रभारी–अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–01, अलीगढ़।

स्टैनो–राजेश कुमार गौतम